

पत्रावली
21-5-2020 को पेश हुई

21/5/2020 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
व्यस्त होने के कारण पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश हो।
10-8-2020

10/9/2020 पत्रावली पेश हुई। वकूला उपाधीन
प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई
पत्रावली वापस मिली दि. 14-9-2020
को पेश की।

14/9/2020 पत्रावली पेश हुई। वकूला उपाधीन
मुद्राव मार्ग में व्यस्त होने के कारण
मिली नहीं लिखा जा सका। पत्रावली
वापस मिली दि. 15-10-2020 को
पेश की।

20/20 पत्रावली पेश हुई। वकूला उपाधीन
पत्रावली पूर्वनुसार वापस मिली दि.
22-10-2020 को पेश की।

22/10/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को
सुना गया तथा तथ्यों पर मनन किया। प्रकरण
में उल्लेखित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण
की सहस्वतदारी भूमि है जिसका बंटवारा



दिनांक

करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आ. ख. नं- 1281, 1362, 1363, 1366, 1367, 264, 286/1493, 858, 861, 866 के संबंध में दिनांक 27.08.2018 को जारी अर्चाई निषेधाज्ञा आदेश को संयुक्त खातेदारी भूमि में से किसी विशेष भू-भाग का अन्तरण नहीं करने बाबत अर्चा निषेधाज्ञा वाद के अंतिम निर्णय तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

22-10-2020

(सुरेश कुमार यादव)
उपस्थान अधिकारी
हिण्डौर (कौन्सी)